न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/80/2021	08-10-2021	17-08-2022

1. रतिराम पुत्र झम्मन,
2. श्योपाल पुत्र झम्मन गुर्जर जाति गुर्जरान निवासीगण ग्राम कूल तप ज्ञानपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

—: अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

—: रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बानसूर दिनांक 24.10.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 183/2017

1. श्री बृहम प्रकाश यादव —वकील अपीलाण्ट

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 24.10.2017 प्रकरण संख्या 183/2017 जिसके द्वारा सम्वत 2074 में अपीलान्ट को ग्राम कूल तहसील बानसूर की आराजी खसरा नम्बर 162 रकबा 2.48 है0 में से 0.10 है0 किस्म चारागाह में पक्का मकान व डण्डा निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर बेदखली/पैनल्टी की राजा से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 162 रकबा 2.48 में से 0.10 है0 किस्म चारागाह में पक्का मकान व डण्डा निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर दिनाक 13.10.2017 को नोटिस जारी किया गया एवं दिनाक 24.10.2017 को अपीलान्टान को अतिक्रमी मानकर प्रकरण का निरतारण कर दिया गया। विवादित आराजी पर अपीलान्टान का कोई अतिक्रमण नही है, पटवारी हल्का द्वारा मौके के खिलाफ बिना रिकार्ड का अवलोकन किये अपीलान्टान के विरूद्ध गलत रिपोर्ट तहत अदालत को पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा बिना मौका/रिकार्ड का अवलोकन किये अपीलान्टान के विरूद्ध नोटिस जारी कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। उक्त आराजी पर अपीलान्टान 40 साल से अपने मकानात बनाकर रिहायश कर रहे है। उक्त आराजी में अपीलान्टान के अलावा अन्य ग्रामवासीयान के मकानात बने हुये है, मौके पर कोई चारागाह नही है, बल्कि राधान आबादी है। हम अपीलान्टान ने कोई अतिक्रमण नही किया गया है, इस तथ्य पर तहत अदालत ने कोई गौर नही किया कोई सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी नही दिया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर कर निर्णय पारित कर बेदखली/पैनल्टी की कार्यवाही अमल में लायी गयी है, जबकि विधि शास्त्र का यह सिद्धान्त है, कि प्रभावित पक्षकार को सुना जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अहकाम जारी करने के आदेश पारित किए

गए। बमुताबिक मंसूखी उपरोक्त निर्णय तथा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/80/2021	08–10–2021	17–06–2022

1. रतिराम पुत्र झम्मन,
2. श्योपाल पुत्र झम्मन गुर्जर जाति गुर्जरान निवासीगण ग्राम कूल तन ज्ञानपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

–: अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

–: रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बानसूर दिनांक 24.10.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 183/2017

1. श्री बृहम प्रकाश यादव –वकील अपीलाण्ट

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 24.10.2017 प्रकरण संख्या 183/2017 जिसके द्वारा सम्वत 2074 में अपीलान्ट को ग्राम कूल तहसील बानसूर की आराजी खसरा नम्बर 162 रकबा 2.48 है0 में से 0.10 है0 किस्म चारागाह में पक्का मकान व डण्डा निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर बेदखली/पैनल्टी की सजा से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 162 रकबा 2.48 में से 0.10 है0 किस्म चारागाह में पक्का मकान व डण्डा निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर दिनाक 13.10.2017 को नोटिस जारी किया गया एवं दिनाक 24.10.2017 को अपीलान्टान को अतिकमी मानकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया। विवादित आराजी पर अपीलान्टान का कोई अतिक्रमण नही है, पटवारी हल्का द्वारा मौके के खिलाफ बिना रिकार्ड का अवलोकन किये अपीलान्टान के विरूद्व गलत रिपोटे तहत अदालत को पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा बिना मौका/रिकार्ड का अवलोकन किये अपीलान्टान के विरूद्व नोटिस जारी कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। उक्त आराजी पर अपीलान्टान 40 साल से अपने मकानात बनाकर रिहायश कर रहे है। उक्त आराजी में अपीलान्टान के अलावा अन्य ग्रामवासीयान के मकानात वने हुये है, मौके पर कोई चारागाह नही है, बल्कि सधन आबादी है। हम अपीलान्टान ने कोई अतिक्रमण नही किया गया है, इस तथ्य पर तहत अदालत ने कोई गौर नही किया कोई सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी नही दिया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर कर निर्णय पारित कर वेदखली/पैलन्टी की कार्यवाही अमल में लायी गयी है, जबकि विधि शास्त्र का यह सिद्वान्त है, कि प्रभावित पक्षकार को सुना जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अपीलान्टान को तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.10.2017 की पूर्व में कोई जानकारी नही थी, अपीलान्टान को जारी नोटिस की कोई तिथि सम्यक व्यक्तिगत तामील नही हुयी। तहत अदालत द्वारा अपीलान्टान के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है। इस लिये अपीलान्टान को कोई जानकारी न हो सकी और अपील अन्दर मियाद में पेश नही हो सकी जिसमें हम अपीलान्टान की कोई बदयान्ती नही है। पारित आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.12.2017 को हुयी जब पटवारी हल्का ने अपीलान्टान को नायब तहसीलदार बानसूर के निर्णय के बाबत मौके पर बेदखल करने का प्रयास किया और मौखिक रूप से उक्त निर्णय की जानकारी की जानकारी होने पर अपीलान्टान ने दिनाक 11.12.2017 को तहत अदालत में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी पेश कर एक पक्षीय कार्यवाही आदेश दिनाक 24.10.2017 को अपास्त कर अपीलान्टान को उनका पक्ष रखने की अनुमति चॉही गयी जिस पर तहत अदालत द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त कर अपीलान्टान को सुनवाई का अवसर दिया गया अपीलान्टान ने दिनाक 16.01.2018 को तहत अदालत में जवाब नोटिस पेश किया गया है। लेकिन तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनाक 24.10.2017 की पालना पुलिस इमदाद से अपीलान्टान को बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है। जिस पर कानूनी राय ली जाकर तहत अदालत के आदेश दिनाक 24.10.2017 के विरूद्ध अपील किये जाने हेतु सलाह दी गयी जिस पर दिनाक 24.01.2018 तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर उसी दिन नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की जाकर बिना देरी किये यह अपील पेश की है, तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 24.10.2017 की प्रथम जानकारी की दिनाक 10.12.2017 से व उसके बाद का समय माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून मियाद का पेश कर अपील अपीलान्टान अन्दर अवधि मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 24.10.2017 को निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.10.2017 के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 31.01.2018 को पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 24.10.2017 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 10.12.2017 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि खसरा न0 162 रकबा 2.48 में अपीलान्टान का कोई अतिक्रमण नही है, अपीलान्टान 40 साल से अपने मकानात बनाकर रिहायश कर रहे है। उक्त आराजी में अपीलान्टान के अलावा अन्य ग्रामवासीयान के मकानात बने हुये है, मौके पर कोई चारागाह नही है, बल्कि सघन आबादी है। हम अपीलान्टान ने कोई अतिक्रमण नही किया गया है, तहत अदालत द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर कर निर्णय पारित कर बेदखली/पैनल्टी की कार्यवाही अमल में लायी गयी है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया ग्राम फूल तन ज्ञानपुरा की आराजी खसरा न0 162 रकवा 2.48 है0 में से 0.10 है0 किस्म चारागाह में पक्के मकान व डण्डे का निर्माण किये जाने पर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही की गयी है, इस तथ्य को स्वयः अपीलान्टान ने भी स्वीकार किया है। तहत अदालत द्वारा विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट तलब की गयी जिसके अनुसार अतिक्रमी द्वारा मौके से अतिक्रमण नही हटाया गया है। प्रकरण में वर्णित आराजी की किस्म चारागाह है, जो प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है, उक्त भूमि पर अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नही है। तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.2017 न्यायोचित प्रक्रियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित अदालत को सहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17-06-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अजमेर (राज0)